

मद संख्या  
श्री अरुण उग्रवाल

परिषद के लिए व्याख्यात्मक रिपोर्ट

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित हरदोई रोड योजना में 3050 आवास एवं विकास परिषद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में संचालित करने हेतु आवास आर्यक, 3050 आवास एवं विकास परिषद तथा उपर्युक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य तथा सचिव आवास की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2002 का बैठक आयोजित हुई थी, जिसके तदनुक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के बार्ड की बैठक दि० 24.10.02 में निम्नानुसार प्रस्ताव (संलग्नक-1) का अनुमोदन किया गया है।

हरदोई रोड योजना के सेक्टर-ई में लगभग 119 एकड़ एवं सेक्टर-एच (आंशिक) के 71 एकड़, कुल लगभग 190 एकड़ भूमि आवास एवं विकास परिषद को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित किए जाने पर विचार किया जा सकता है -

1. सम्पूर्ण योजना से संबंधित बाह्य विकास कार्य, जैसे सीवेज डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, योजना स्थल तक पहुंचल की आपूर्ति एवं ट्रंक ड्रेन सव्ही कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जायेंगे।

2. आनुपतिक व्यय क्षेपक के आधार पर दोनों संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेंगा।

3. आवास एवं विकास परिषद केवल सेक्टर-ई0 एवं एच0 में आंतरिक विकास एवं निर्माण करायेंगा।

4. 3050 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के विक्रय देय धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण की उपलब्ध कराई जायेंगी।

5. 3050 आवास एवं विकास परिषद द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपनी कस्टिंग में निर्धारित भूमि का मूल्य देय होगा।

6. भू-मूल्य के भुगतान के बाद किसी भी प्रकार की बर्तौलरी यदि किसी न्यायालय द्वारा की जाती है तो वह समस्त धनराशि परिषद की देनदारी होगी।

दिनांक 21.09.2002 को आयोजित संयुक्त बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत टेन्डर प्रोचर कास्ट (संलग्नक-2) के अनुसार भूमि दर रु० 118/- प्रति वर्ग मीटर की दर से 190 एकड़ का भूमि मूल्य रु० 907.11 लाख आगोशित होगा है।

3050 आवास एवं विकास परिषद में विकास प्राधिकरण से अन्य शर्तों में भी आवासीय योजना संचालित करने के लिये भूमि ली है। इन योजनाओं में भूमि की दरों का निर्धारण आदि शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है तदनुसार विकास प्राधिकरण लखनऊ की उक्त भूमि की, दरों, का, निर्धारण शासन स्तर पर करायेंगे भुगतान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्तानुसार हरदोई रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण से 190 एकड़ भूमि आवासीय योजना संचालित किए जाने हेतु प्राप्त करने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनाय प्रस्तुत है।

अधीनस्थ अधिकारी  
संयुक्त आवास प्रस्ताव  
संयुक्त आवास प्रस्ताव  
संयुक्त आवास प्रस्ताव  
संयुक्त आवास प्रस्ताव

19/11  
M  
गण

लखनऊ  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
अधिसूची अधिनियम-2  
( एमओएच अंशरी )  
3090 आवास एवं विकास परिषद

लखनऊ  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
अधिसूची अधिनियम-2  
( वीओएच सिंह )  
18/11/02

प्रति हस्ताक्षरित

लखनऊ  
3090 आवास एवं विकास परिषद  
निर्माण खण्ड-21  
सहायक अधिनियम-2  
( कौशिक विपरी )  
18/11/02

लखनऊ  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
सहायक अधिनियम-2  
( एमओएच विपरी )  
18/11/02  
अधिसूची अधिनियम-2  
एमओएच  
10/11/02

कौशिक विपरी के  
कक्षा देने वाले अधिकाारी

कौशिक विपरी के  
कक्षा देने वाले अधिकाारी

हस्ताक्षरित एवं विकास परिषद को शर्मि हस्ताक्षरित करने  
के संबंध में उपाध्यक्ष, लखनऊ के पत्र संख्या: 1934/एओसी/एचओआर/02 दिनांक 10  
दिसम्बर, 02 के अनुक्रम में हस्ताक्षरित रोड योजना के सेक्टर 'ई' की लम्बाय 119 एकेड  
शर्मि तथा सेक्टर 'एच' की अधिका लम्बाय 71 एकेड शर्मि (कुल 190 एकेड) का  
सांकेतिक कक्षा आज दिनांक 18.12.02 को हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षरित शर्मि का  
मानचित्र संलग्न है।

सांकेतिक कक्षा प्रमाण-पत्र

लखनऊ विकास प्राधिकरण  
1958/न/ह.र/02  
18/12/02

